

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
सावधि ऋण योजना- श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर
सफलता की कहानी

| | |
|----------------------------------|--|
| लाभार्थी का नाम | बशीर अहमद |
| जिला एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर |
| योजना का नाम | सावधि ऋण |
| ऋण स्वीकृति का वर्ष | 2017 |
| ऋण राशि | रु. 1,00,000/- |
| कार्य/व्यवसाय | बारबर शॉप |
| राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी | जम्मू-कश्मीर एससी, एसटी और बीसी विकास निगम |



लाभार्थी बशीर अहमद हज्जाम, पुत्र श्री सनाउल्लाह हज्जाम, निवासी रंगिल, गांदरबल को आय-सृजन इकाई के रूप में "नाई की दुकान " स्थापित करने के लिए एनबीसीएफडीसी योजना के तहत जम्मू-कश्मीर एससी, एसटी और बीसी विकास निगम द्वारा वित्तपोषित किया गया था। इस निगम से ऋण सुविधा प्राप्त करने से पहले लाभार्थी मुश्किल से आजीविका चला पा रहा था और कुल कमाने-खाने की स्थिति से गुजर रहा था। वह किसी अन्य व्यक्ति की नाई की दुकान में हेल्पर के रूप में काम कर रहा था और उसे अपने परिवार की देखभाल करने का दायित्व निर्वहन करना होता था, लेकिन उक्त कार्य में पर्याप्त अनुभव होने के बावजूद उसे बहुत परेशानी उठानी पड़ रही थी।

उन्हें जम्मू-कश्मीर एससी, एसटी और बीसी विकास निगम के फील्ड स्टाफ द्वारा मार्गदर्शन किया गया। जागरूकता शिविर के दौरान एनबीसीएफडीसी ऋण योजना का लाभ उठाते हुए लाभार्थी ने स्वतंत्र रूप से अपनी नाई की दुकान स्थापित की। जम्मू-कश्मीर एससी, एसटी और बीसी विकास निगम से ऋण सुविधा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपनी खुद की नाई की दुकान इकाई स्थापित की और अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। इस छोटे व्यवसायिक प्रतिष्ठान ने उनके जीवन स्तर को सुधारा और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया। जब राज्य निगम की टीम के एक सदस्य ने बशीर की यूनिट का दौरा किया तो वह बहुत खुश हुए और कहा, "जम्मू एवं कश्मीर एससी, एसटी, बीसी विकास निगम एक अच्छा काम कर रहा है; निगम द्वारा दी गई जागरूकता से गरीब लोगों में खुशियाँ आई हैं।"

लाभार्थी नियमित रूप से निगम को मासिक किश्तों का भुगतान कर रहा है जो यह बताता है कि इतने कम समय में उन्होंने कितनी प्रगति की है। यह अवसर प्रदान करने के लिए लाभार्थी सरकार और दोनों निगमों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। वह अन्य नाइयों को इस योजना का लाभ उठाने और अपने जीवन स्तर में सुधार करने की सलाह देते हैं।